दिनांक 19.09.2025
प्रेस विज्ञप्ति 29/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मथुरा/थाना सुरीर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 18.09.2025 को थाना सुरीर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर यमुना–एक्सप्रेसवे तेहरा अण्डरपास के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त बन्टू उर्फ बलराम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद भरतपुर, जयपुर राजस्थान के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना नदवई जनपद भरतपुर राजस्थान से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सुरीर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बन्टू उर्फ बलराम निवासी बासी खुर्द थाना सेबर जनपद भरतपुर राजस्थान।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल।

जनपद सीतापुर/थाना कोतवाली देहात

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 04 लाख रूपये कीमत की चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **चोरी के 14 हजार 500 रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 19.09.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आनन्द रेलवे क्रासिंग के पास से 03 अभियुक्तों 1–करन 2–हीरू 3–मनीष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 04 लाख रूपये कीमत की चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, चोरी के 14 हजार 500 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.09.2025 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त मनीष व करन के विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 04–04 अभियोग एवं अभियुक्त हीरू के विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 03 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–करन निवासी रामकृष्णपुरी थाना कोतवाली देहात जनपद सीतापुर।

2–हीरू निवासी ब्लाक नं0–53 काशीराम कॉलोनी थाना रामकोट।

3–मनीष निवासी दुर्गापुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–लगभग 04 लाख रूपये कीमत की चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

2–चोरी के 14 हजार 500 रूपये नगद।

3–01 मोबाइल फोन।

4–घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन आदि।

जनपद मुरादाबाद/थाना सिविल लाईन्स

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्ता गिरफ्तार**
- **लगभग 70 लाख रूपये कीमत की चोरी के हीरे व सोने के आभूषण**
- **चोरी के 40 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 19.09.2025 को थाना सिविल लाईन्स पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विष्णुपुरी गली नं0–5 से अभियुक्ता को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के कब्जे/निशादेही से लगभग 70 लाख रूपये कीमत की चोरी के हीरे व सोने के आभूषण, चोरी के 40 हजार रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.09.2025 को थाना सिविल लाईन्स क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिविल लाईन्स पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्ता के कब्जे से बरामद आभूषण, रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाईन्स पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अभियुक्ता।

बरामदगी

1–लगभग 70 लाख रूपये कीमत की चोरी के हीरे व सोने के आभूषण।

2–चोरी के 40 हजार रूपये नगद।

जनपद चन्दौली/थाना चकिया

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 19.09.2025 को थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिकन्दरपुर तिराहे के पास से 04 अभियुक्तों 1–सचिन 2–परवेज उर्फ आजाद 3–विजय कुमार 4–दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना चकिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सचिन निवासी पिपराकला थाना बबुरी जनपद चन्दौली।

2–परवेज उर्फ आजाद निवासी ग्राम भीषमपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली।

3–विजय कुमार निवासी पिपराकला थाना बबुरी जनपद चन्दौली।

4–दीपक कुमार निवासी पिपराकला थाना बबुरी जनपद चन्दौली।

बरामदगी

1–चोरी की 10 मोटर साइकिल आदि।

- **जनपद जालौन/थाना एट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 06 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना एट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 364ए/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–प्रीतम 2–संदीप कुमार 3–प्रदीप कुमार 4–मुहम्मद इकबाल 5–उमेश कुमार 6–दीपक उर्फ दिनेश को आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद संतकबीरनगर/थाना बेलहरकला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद संतकबीरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बेलहरकला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/

302/201/377 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त लाल बहादुर को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना अलीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना अलीगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304बी/498ए भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रीतेश को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना संदना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 07 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना संदना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/323/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सोनू को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 07 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयभ्